शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-81/1734/52-1-2014-37(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2014**

विषय - मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 02.09.2011 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 48वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए जनपद बिजनौर में 1500 शौचालय का निर्माण हेतु केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(21)/2008-पी0पी0-I, दि0 03.08.2012 के क्रम में शासनादेश संख्या-2981/बावन-1-2012-1(31)/10, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 द्वारा जनपद बिजनौर में बनने वाले 1500 शौचालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 11.25 लाख जारी की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(21)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 18.02.2014 के द्वारा जनपद बिजनौर में बनने वाले शौचालय के निर्माण हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 22.50 लाख में से कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 16.875 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 8,43,750/-(रू0 आठ लाख तैंतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 2,81,250/-(रू0 दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल रू0 11,25,000/- (रू0 ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तावित बजट रू0 40.00 लाख के सापेक्ष पारित 04 माह के लेखानुदान में से रू0 11.25 लाख अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

https://shasanadesh.up.nic.in

										(रू0 लाख में)
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त के0/रा0	अवमुक्त द्वितीय किश्त		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजनौर	शौचालय का निर्माण	1500	0.015	16.875	5.625	11.25	8.4375	2.8125	11.25
		योग=	**1500**	**0.015**	**16.875**	**5.625**	**11.25**	**8.4375**	**2.8125**	**11.25**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही वयय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- शौचालय निर्माण की कार्यवाही जिलाधिकारी के नेतृत्व में उक्त कार्य करने के सम्बन्ध में गठित समिति/एजेन्सी के सामान्य पर्यवेक्षण में की जायेगी। प्रश्नगत शौचालय के निर्माण में अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि से कार्य को 03 माह में गुणवत्ता सहित पूर्ण किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा।

5- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

https://shasanadesh.up.nic.in

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। शौचालय निर्माण के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी।सम्बन्धित अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं निर्माण-स्थलों की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

11- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 के मूल आय-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

12- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक " 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0110-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-617(2)/दस-2014, दिनांक 27.05.2014 को प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-1734(1)/52-1-14तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग।

https://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वां तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत शौचालय के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान न प्राप्त किया गया हो।

7- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाअधिकारी, बिजनौर।

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

10- लेखाअधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in